कोयले के कोटे का दुरुपयोग

1481. **श्री विश्वासराव रामराव पाटिल** : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन संगठनों तथा व्यक्तियों के राज्यवार नाम क्या-क्या हैं जो अपने कोयले के कोटे को अन्य उद्देश्यों के लिए प्रीमियम पर बेच देते हैं तथा जो कोयले के कोटे का उस कार्य के लिए उपयोग नहीं करते हैं जिसके लिए यह कोटा स्वीकृत किया जाता है ; और

(ख) ऐसे कोटा धारकों द्वारा की जाने वाली कोयले की काला बाजारी को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं ?

कोयला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस० बी० नयमेगौडा) : (क) और (ख) विशिष्ट उद्देश्यों के लिए उपभोक्ताओं को आवंटित किए गए कोयले का अंतरण किए जाने के बारे में कोयला कंपनियों और सरकार को भी शिकायतें मिल रही हैं । यदि उपभोक्ता ऐसे कदाचारों में भाग लेते हुए पाए जाते हैं तो कोयला कंपनियां द्वारा उपयुक्त रूप से जांच किए जाने के बाद ऐसे उपभोक्ताओं को कोयले की आपूर्ति बंद कर दी जाती है/रद्द कर दी जाती है । ऐसे संगठनों, फैक्टिरियों और व्यक्तियों के बारे में, जिन्होंने एक निश्चित अवधि के दौरान कोयले के कोटे का अंतरण किया है उसका एक केंद्रीयकृत रिकार्ड कोयला मंत्रालय में नहीं रखा जाता है । सभी कोयला कंपनियों से इस सूचना को इकट्ठा करने में अपेक्षित समयावधि तथा प्रयास काफी मात्रा में होने की संभावना है और इस संबंध में प्राप्त किए जाने वाले परिणाम उनके अनुरूप नहीं होंगे ।

कोयले की चोर बाजारी को रोकने के लिए कोल इंडिया लि० निम्नलिखित निरोधात्मक उपाय कर रही है :—

(1) एक ऐसी पद्धति बना रही है ताकि केवल वास्तविक उपभोक्ताओं को ही कोयले का आवंटन मिल सके ।

(2) गैर-महत्वपूर्ण क्षेत्र के उपभोक्ताओं के लिए कोयले के कोटे की प्रायोजकता को अंतिम रूप देने के लिए राज्य सरकार के साथ सक्रिय सहयोग ।

(3) कोयले के सुपुर्दगी आदशों की हस्तान्तरण की पद्धति पर रोक लगाया जाना ।

(4) कोयला मंत्रालय ने हाल ही में कोलियारी नियंत्रण आदेश में संशोधन करते हुए तीन आदेश/अधिसूचनाऐ जारी की हैं । जहां तक कोयला का उपयोग करने वालों का संबंध है, इस संशोधन के कारण कोयला प्राप्त करने की प्रक्रिया में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है । किंतु यदि वे वास्तविक उपभोक्ताओं के रूप में कोयला प्राप्त करते हैं तो उन्हें अब कोयले के अंतरण अथवा उसकी पुनः बिक्री के लिए कोयला नियंत्रण की पूर्व अनुमति लेनी होगी । कोलियारी नियंत्रण आदेश के प्रावधानों का उल्लंघन करना आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत दंडनीय है ।

Fire in Nandira colliery

1482. SHRIMATI KAMLA SINHA: Will the Minister of COAL be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Nandira colliery in Talcher area (Orissa) caught fire recently, if so, the reasons therefor;

(b) what is the extent of damage caused to the property and the lives of underground shift duty miners; and

(c) whether Government have fixed any accountability for the cause of the fire and constituted a judicial enquiry as demanded by the Trade Unions?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COAL (SHRI S. B. NYAMAGOUDA): (a) to (c) There was an incident of fire in Nandira Colliery of Mahanadi Coalfields Limited on 7-6-92 due to short circuiting in an electric cable. There was no casualty

or serious injury in this incident. The affected district has been sealed off and the exact damage can be assessed only after the same is reopened. A high level committee has been appointed under the Chief General Manager (Production), Mahanadi Coalfields Ltd. to inquire into the causes and circumstances leading to the fire and to make recommendations to avoid recurrence of such incidents.

Duty free import of coal

1483. SHRI KRISHNA KUMAR BIRLA: Will the Minister of COAL be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry has urged Government to allow industrial units duty free import of coal to tide over the persistent coal shortage;

(b) if so, the reaction of Government thereto;

(c) whether Government propose to consider the demand of FICCI; and

(d) if so, by when and if not, the reasons therefor?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COAL (SHRI S. B. NYAMAGOUDA): (a) Yes, Sir.

(b) to (d) The proposal is under examination of the Government.

कोयले के मूल्यों में वृद्धि करने के लिए मध्य प्रदेश का प्रस्ताव

1484. श्री **अजीत जोगी** : क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्रीय सरकार को मध्य प्रदेश सरकार से विभिन्न श्रेणियों के कोयले के मूल्यों में वृद्धि करने संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या अन्य राज्यों से भी इस तरह की मांगें की गयी हैं ; और

(घ) यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

कोयला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस० बी० नयमेगौंडा) : (क) और (ख) इस संबंध में उपलब्ध सूचना के अनुसार ऐसे कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं ।

(ख) और (घ) प्रश्न नहीं उठता ।

Legislation for privatisation of Coal Industry

1485. SHRI V. NARAYANASAMY: Will the Minister of COAL be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government propose to bring legislation for privatisation of coal mines; and

(b) if so, whether Government have already started leasing out some of the coal mines owned by them?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COAL (SHRI S. B. NYAMAGOUDA): (a) The Government, at present, has no proposal to privatise the existing coal mines. However, the Government have decided to allow private sector participation in coal mining operation in virgin area for the purpose of captive consumption for power generation and other end uses, as well as to set up coal washeries. A Bill has been introduced in the Parliament to amend the Coal Mines (Nationalisation) Act, 1973 in order to implement the above decision of the Government.

(b) No, Sir.

Proposal for transport technology of Coal

1486. SHRI SATISH PRADHAN: Will the Minister of COAL be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government have received a Research